भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4261
उत्तर देने की तारीख : 26.03.2025

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के अंतर्गत ऋण योजनाएं

4261. डॉ. बायरेड्डी शबरी:
श्री जी. लक्ष्मीनारायण:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) द्वारा पात्रता मानक और वित्तपोषण संरचना सहित प्रस्तावित विभिन्न ऋण योजनाओं का ब्यौरा क्या है,

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान एनएमडीएफसी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या तथा वितरित ऋणों की कुल राशि का विशेषकर आंध्र प्रदेश के लिए राज्यवार तथा जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनएमडीएफसी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) या किसी अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से परिचालन करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विभिन्न एनएमडीएफसी ऋण योजनाओं पर लागू ब्याज दरों का ब्यौरा क्या है और क्या लाभार्थियों को कोई ब्याज छूट या सब्सिडी प्रदान की जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा एनएमडीएफसी योजनाओं की पहुंच लक्षित लाभार्थियों, विशेषकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों तक सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रिजिजू)

(क): राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) की योजनाओं के बारे में पात्रता मानदंड और वित्तपोषण संरचना सहित अन्य विवरण 'अनुबंध-क' में प्रस्तुत किया गया है।

(ख): वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान एनएमडीएफसी योजनाओं के तहत वितरित रियायती ऋण और शामिल किए गए लाभार्थियों का राज्यवार विवरण अनुबंध-ख में उपलब्ध है। इसी तरह, इसी अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य के लिए जिला-वार डेटा अनुबंध-ग में उपलब्ध है।

(ग): राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) की योजनाओं को संबंधित राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (SCA) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, केनरा बैंक और पंजाब ग्रामीण बैंक पुनर्वित्त आधार पर एनएमडीएफसी योजनाओं को कार्यान्वित कर रहे हैं। इसके अलावा, एनएमडीएफसी ने इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जुलाई 2024 में इंडियन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

(घ): एनएमडीएफसी योजना के तहत रियायती ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है। विभिन्न एनएमडीएफसी ऋण योजनाओं पर लागू ब्याज दरों का विवरण अनुबंध-क में दिया गया है। हालाँकि, इन योजनाओं के तहत ब्याज सहायता या सब्सिडी का कोई प्रावधान नहीं है।

(ङ): एनएमडीएफसी योजनाओं की पहुंच को बढ़ाने के लिए, ऋण मेला सह जागरूकता शिविरों के आयोजन को एनएमडीएफसी ऋण कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग बनाया गया है। एनएमडीएफसी की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी (SCA) ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों सहित अल्पसंख्यक-बहुल क्षेत्रों में वार्षिक आधार पर ऋण मेला सह जागरूकता शिविरों का आयोजन करती है। इन शिविरों के दौरान, एनएमडीएफसी योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा की जाती है, चुने गए लाभार्थियों को ऋण वितरित किए जाते हैं, और प्रतिभागियों को ऋण आवेदन प्रपत्र वितरित किए जाते हैं। इच्छुक व्यक्तियों को उनके आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने में सहायता की जाती है, और आगे की प्रक्रिया के लिए विधिवत भरे हुए प्रपत्र एकत्र किए जाते हैं। प्रतिभागियों को उनके आर्थिक विकास के लिए रियायती ऋण का उपयोग करने हेतु प्रेरित करने के लिए लाभार्थियों की सफलता की कहानियां साझा की जाती हैं। प्रतिभागियों को ऋण के उचित उपयोग और समय पर पुनर्भुगतान के महत्व के बारे में जागरूक किया जाता है।

एनएमडीएफसी, योजनाओं के विषय में जागरूकता पैदा करने के लिए एक्स, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से जनता के साथ सक्रिय रूप से जुड़ता है।

इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजनाएं लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचें, एनएमडीएफसी ने क्रेडिट लाइन 1 और क्रेडिट लाइन 2 दोनों के अंतर्गत वार्षिक पारिवारिक आय सीमाओं को निम्नानुसार संशोधित किया है:

1. क्रेडिट लाइन 1 के अंतर्गत वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को ग्रामीण क्षेत्रों में 98,000 रु. तथा शहरी क्षेत्रों में 1,20,000 रु. से बढ़ाकर ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए 3.00 लाख रु. प्रति वर्ष कर दी गई है।
2. क्रेडिट लाइन 2 के अंतर्गत वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को 6.00 लाख रु. प्रति वर्ष से बढ़ाकर 8.00 लाख रु. प्रति वर्ष कर दी गई है।

*****

अनुबंध-क

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के अंतर्गत ऋण योजनाओं के संबंध में दिनांक 26.03.2025 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा स्वीकृत प्रश्न संख्या 4261 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

<u>पात्रता की शर्त</u>

1. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन, एनएमडीएफसी योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
2. क्रेडिट लाइन-1 के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए वार्षिक पारिवारिक आय पात्रता मानदंड 3.00 लाख रुपये प्रति वर्ष अधिकतम है। क्रेडिट लाइन-2 के तहत, 8.00 लाख रुपये प्रति वर्ष तक की उच्च वार्षिक पारिवारिक आय वाले व्यक्ति उच्च ब्याज दर पर अधिक मात्रा में वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

<u>एनएमडीएफसी की रियायती ऋण योजनाएं</u>

1. <u>सावधि ऋण</u> :- इस योजना के तहत सहायता किसी भी व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य और तकनीकी रूप से व्यवहार्य उद्यम के लिए उपलब्ध है। ऋण क्रेडिट लाइन-1 के तहत प्रति लाभार्थी को 6% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर अधिकतम 20.00 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध है।
क्रेडिट लाइन-2 के अंतर्गत पुरुष लाभार्थियों के लिए 8% प्रति वर्ष और महिला लाभार्थियों के लिए 6% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर प्रति लाभार्थी अधिकतम 30.00 लाख रुपये तक का उच्च ऋण उपलब्ध है।

<u>शिक्षा ऋण</u> :- शिक्षा ऋण योजना सावधी ऋण योजना का हिस्सा है। तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है, जिसकी अधिकतम पाठ्यक्रम अवधि 5 वर्ष होती है। भारत में पाठ्यक्रमों के लिए 20.00 लाख रुपये और विदेश में पाठ्यक्रमों के लिए 30.00 लाख रुपये तक का शैक्षिक ऋण क्रेडिट लाइन-1 के तहत 3% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर उपलब्ध है, जबकि क्रेडिट लाइन-2 के तहत पुरुष लाभार्थियों से 8% प्रति वर्ष और महिला लाभार्थियों से 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लिया जाता है।

<u>विरासत योजना</u> :- यह योजना भी सावधी ऋण योजना का हिस्सा है और इसे कारीगरों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से क्रियान्वित किया गया है, जो उपकरण/औजार/मशीनरी की खरीद के लिए कार्यशील पूंजी और स्थायी पूंजी दोनों के आधार पर दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत क्रेडिट लाइन -1 के तहत पुरुष कारीगर के लिए 5% प्रति वर्ष और महिला कारीगर के लिए 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर और क्रेडिट लाइन-2 के तहत पुरुष कारीगर के लिए 6% प्रति वर्ष और महिला कारीगर के लिए 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर अधिकतम 10.00 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त किया जा सकता है।

2. <u>सूक्ष्म वित्त</u> :-सूक्ष्म वित्त योजना के तहत, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों, विशेष रूप से दूरदराज के गांवों और शहरी झुग्गियों में बिखरे अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं को सूक्ष्म ऋण दिया जाता है, जो औपचारिक बैंकिंग ऋण का लाभ नहीं उठा पाते हैं। इस योजना के लिए आवश्यक है कि लाभार्थियों को एसएचजी में संगठित किया जाए और उनमें बचत और ऋण की आदत डाली जाए, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। क्रेडिट लाइन-1 के तहत प्रति एसएचजी सदस्य को 7% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर अधिकतम 1.00 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध है।

क्रेडिट लाइन-2 के अंतर्गत पुरूष लाभार्थियों के लिए 10% प्रतिवर्ष की ब्याज दर तथा महिला लाभार्थियों के लिए 8% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर SHG सदस्य अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक का उच्च ऋण उपलब्ध है।

एनएमडीएफसी योजनाओं की क्रेडिट लाइन-वार अन्य मापदंड और वित्तपोषण संरचना निम्नानुसार है:

क. क्रेडिट लाइन 1

क्र.सं.	मानदंड	सावधि ऋण	शिक्षा ऋण	सूक्ष्म वित्त	विरासत
1	अधिकतम ऋण राशि (लाख रु. में)	20	20 (भारत में 5 वर्ष तक की अवधि के पाठ्यक्रमों के लिए) 30 (विदेश में 5 वर्ष तक की अवधि के पाठ्यक्रम)	1 प्रति SHG सदस्य 20 व्यक्तियों के समूह के लिए 20	10
2	लाभार्थियों के लिए ब्याज दर (% प्रति वर्ष)	6	3	7	5 (पुरुष) 4 (महिला)
3	एससीए/बैंक द्वारा एनएमडीएफसी को ब्याज दर (प्रति वर्ष %)	3	1	1	3 (पुरुष) 2 (महिला)
4	लाभार्थियों के लिए अधिस्थगन अवधि	**6 महीने**	**पाठ्यक्रम की समाप्ति के 6 महीने के बाद या रोजगार मिलने पर, जो भी पहले हो**	**3 महीने**	**6 महीने**
5	लाभार्थियों के लिए पुनर्भुगतान अवधि	**5 साल**	**5 साल**	**3 वर्ष**	**5 साल**
6	वित्तपोषण के साधन एनएमडीएफसी: एससीए/बैंक: लाभार्थी	**90 : 5 : 5**			

ख. क्रेडिट लाइन 2

क्र.सं.	मानदंड	सावधि ऋण	शिक्षा ऋण	सूक्ष्म वित्त	विरासत
1	अधिकतम ऋण राशि (लाख रु. में)	30	20 (भारत में 5 वर्ष तक की अवधि के पाठ्यक्रमों के लिए) 30 (विदेश में 5 वर्ष तक की अवधि के पाठ्यक्रम)	1.50 प्रति स्वयं सहायता समूह सदस्य 20 व्यक्तियों के समूह के लिए 30	10
2	लाभार्थियों के लिए ब्याज दर (% प्रति वर्ष)	8 (पुरुष) 6 (महिला)	8 (पुरुष) 5 (महिला)	10 (पुरुष) 8 (महिलाएं)	6 (पुरुष) 5 (महिला)
3	एससीए/बैंक द्वारा एनएमडीएफसी को देय ब्याज दर (% प्रति वर्ष)	5 (पुरुष) 3 (महिला)	2	4 (पुरुष) 2 (महिला)	4 (पुरुष) 3 (महिला)
4	लाभार्थियों के लिए अधिस्थगन अवधि	**6 महीने**	**पाठ्यक्रम की समाप्ति के 6 महीने के बाद या रोजगार मिलने पर, जो भी पहले हो**	**3 महीने**	**6 महीने**
5	लाभार्थियों के लिए पुनर्भुगतान अवधि	**5 साल**	**5 साल**	**3 वर्ष**	**5 साल**
6	वित्तपोषण के साधन	**90 : 5 : 5**			

	एनएमडीएफसी: एससीए/बैंक: लाभार्थी	

अनुबंध-ख

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के अंतर्गत ऋण योजनाओं के संबंध में दिनांक 26.03.2025 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा स्वीकृत प्रश्न संख्या 4261 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान एनएमडीएफसी योजनाओं के तहत वितरित रियायती ऋण और शामिल किए गए लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राशि (करोड में)	लाभार्थियों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	0.03	3
2	आंध्र प्रदेश	9.85	3192
3	अरुणाचल प्रदेश	0.52	23
4	असम	2.79	959
5	बिहार	1.41	177
6	चंडीगढ़	0.50	33
7	दिल्ली	0.60	40
8	गोवा	1.62	104
9	गुजरात	14.43	956
10	हरियाणा	22.17	1874
11	हिमाचल प्रदेश	50.79	3387
12	जम्मू और कश्मीर	198.77	14873
13	झारखंड	6.55	123
14	कर्नाटक	3.81	456
15	केरल	1345.42	283088
16	लद्दाख	0.02	1
17	लक्षद्वीप	0.27	41
18	मध्य प्रदेश	0.19	9
19	महाराष्ट्र	31.03	2395
20	मणिपुर	0.48	121
21	मेघालय	1.63	170
22	मिजोरम	13.43	876
23	नागालैंड	3.03	1205
24	ओडिशा	0.89	243
25	पुदुचेरी	0.02	1
26	पंजाब	3.78	119
27	राजस्थान	16.23	1470
28	सिक्किम	1.00	66
29	तमिलनाडु	253.94	66667
30	तेलंगाना	7.86	873
31	त्रिपुरा	18.32	1222
32	उत्तर प्रदेश	34.58	3067
33	उत्तराखंड	1.59	118
34	पश्चिम बंगाल	1552.82	448493
	कुल योग	**3600.21**	**836444**

अनुबंध-ग

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के अंतर्गत ऋण योजनाओं के संबंध में दिनांक 26.03.2025 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा स्वीकृत प्रश्न संख्या 4261 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में वितरित रियायती ऋण और वित्तपोषित लाभार्थियों का जिलावार विवरण

क्र. सं.	**ज़िला**	**राशि (लाखों में)**	**लाभ**
1	अनकापल्ली	1.81	3
2	अनंतपुर	147.66	541
3	अनंतपुरमु	9.10	5
4	अन्नमय्या	3.00	5
5	बापतला	26.44	26
6	चित्तूर	85.30	115
7	पूर्वी गोदावरी	44.75	150
8	एलुरु	7.62	7
9	गुंटूर	94.49	181
10	कृष्ण	98.37	104
11	कुरनूल	171.88	991
12	नांदयाल	6.76	6
13	नेल्लोर	33.51	305
14	एनटीआर	12.35	11
15	पलनाडु	3.70	7
16	प्रकाशम	93.30	247
17	श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	14.90	11
18	श्री सत्य साईं	8.05	8
19	श्रीकाकुलम	19.52	19
20	तिरुपति	2.20	2
21	विशाखापत्तनम	26.13	38
22	विजयनगरम	8.02	10
23	पश्चिमी गोदावरी	11.68	16
24	वाईएसआर	54.72	384
कुल योग		**985.25**	**3192**